

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-43/2026 दिनांक 12.02.2026)
***दिनांक-12.02.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में दो अदद मोटरसाइकिल से 5 पेटी अवैध शराब(अंग्रेजी+देशी) के साथ कुल तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/ निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.02.2026 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल(वाहन सं० BR22Y1402) से 04 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (8 पीएम) बरामद करते हुए दो अभियुक्त क्रमशः 1.दशरथ यादव पुत्र जमदार यादव निवासी भवानीपुर थाना श्रीनगर पुजहां, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार 2. शकुनी कुमार पुत्र सुरज यादव निवासी श्रीनगर, थाना श्रीनगर, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 016/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

चेकिंग के क्रम में पुलिस द्वारा एक अन्य मोटरसाइकिल(वाहन सं० UP57AU3479) से 01 पेटी अवैध देशी शराब (बन्टी बबली) को बरामद करते हुए एक अभियुक्त राजेश चौधरी पुत्र रामउचित निवासी रामपुर बरहन टोला नारायनपुर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 17/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियुक्त-

1-मु०अ०सं० 016/2026 धारा 60/72 आबकारी अधि० थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर (अभि० दशरथ व अभि० शकुनी)
2-मु०अ०सं० 017/2026 धारा 60/72 आबकारी अधि० थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर (अभि० राजेश)

गिरफ्तार अभियुक्त-



Edit with WPS Office

1. दशरथ यादव पुत्र जमदार यादव निवासी भवानीपुर, थाना श्री नगर पुजहां, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार
2. शकुनी कुमार पुत्र सुरज यादव निवासी श्री नगर, थाना श्रीनगर, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार
- 3- राजेश चौधरी पुत्र रामउचित निवासी रामपुर बरहन टोला नारायनपुर, थाना बरवापट्टी, जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

- 1- चार पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 8PM, प्रत्येक पेटी में 48 अदद, कुल 192 अदद पाउच, कुल मात्रा 34.56 लीटर, कुल मूल्य 23040 रुपया तथा एक मोटरसाइकिल नं० BR22Y1402 बरामद (मु०अ०सं० 016/2026)
- 2- एक पेटी अवैध देशी शराब बंटी बबली, कुल 45 अदद, कुल मात्रा 09 लीटर, कुल मूल्य 2475 रुपया तथा एक मोटर साइकिल नं० UP57AU3479 बरामद (मु०अ०सं० 17/2026)

अभि० राजेश चौधरी का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 027/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. मु०अ०सं० 200/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० मोहन यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. उ०नि० गौतम कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
4. का० अखिलेश कुमार यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
5. का० भैरो जायसवाल थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
6. का० प्रदीप कुमार यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
7. का० कमलेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
8. हो०गा० नन्दलाल गुप्ता थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 34 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।



कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-65 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-41, व्यक्ति- 105
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-37)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

